विपक्ष के नेता

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में कॉन्ग्रेस कार्य समिति (Congress Working Committee- CWC) ने **18वीं लोकसभा** में विपक्ष के नेता (Leader of the Opposition- LoP) के चयन के लिये सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है।

विपक्ष के नेता (LOP):

- लोकसभा की **कुल सदस्य संख्या के दसवें भाग से कम सीटें** न रखने वाले सबसे **बड़े विपक्षी दल के नेता** को विपक्ष का नेता माना जाता है।
- वह **लोक लेखा (अध्यक्ष), सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन** जैसी महत्त्वपूर्ण समितियों तथा कई **संयुक्त संसदीय समितियों** के भी सदस्य होंगे।
- वह **केंद्रीय सतर्कता आयोग**, **केंद्रीय सूचना आयोग**, **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)**, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC) और लोकपाल** जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिये ज़िम्मेदार विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होने का हकदार है।
- वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं।
- दोनों सदनों में **विपक्ष के नेता को संसद में विपक्ष** के नेता के **वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977** के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है तथा वे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष **वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने** के हकदार हैं।
- संविधान में **विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख** नहीं है।

और पढ़ें: 17वीं लोकसभा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/leader-of-opposition-1